DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, NOVEMBER 15, 2024 ---DATED-----

LG, AAP In Another War Of Words On Yamuna Cleanup

Saxena: Kejriwal Blocked Efforts By Getting Stay On NGT-Appointed Panel

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In a strongly-worded post on X, LG **VK Saxena** on Thursday accused former CM Arvind Kejriwal of obstructing his efforts to clean the Yamuna by obtaining a stay from Supreme Court on the National Green Tribunal-appointed high-level committee. LG alleged this was done to ensure he didn't get the credit for cleaning the river.

Saxena alleged that in the 16 months since the stay, Delhi govt made no efforts to clean the Yamuna. He added that the person who hindered his initiative to make the river pollution-free must have a "polluted intention and thinking".

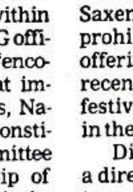

A thick sheet of white, toxic foam could be seen spread over the Yamuna earlier this month. Posting several news clippings to support his claims, Saxena said he started the work to clean the Najafgarh drain on a mission mode in June 2022, within a month of joining the LG office, and the results were "encouraging". He added that impressed with the results, National Green Tribunal constituted a high-level committee under the chairmanship of LG and entrusted it with the responsibility of cleaning and reviving the Yamuna.

"Five meetings of this committee were held under my chairmanship, in which the work of cleaning the Yamuna was started on a war footing. The results of these efforts also started becoming visible. The 11-km floodplain of the Yamuna gradually became clean and encroachment-free, and the quality of water also started improving a little," Saxena said in his post.

Saxena alleged that due to these encouraging results, Kejriwal started feeling that while he could not fulfil the promise of cleaning the Yamuna in nine years, LG might get the credit for the same.

"As a result, Kejriwal filed a petition in Supreme Court and got a stay in July 2023 on the order of NGT nominating me as the chairman of the high-level committee. All the cleaning work done in the last five months came to a halt," LG claimed.

"By doing this, Kejriwal may have succeeded in stopping my efforts to clean the Yamuna, but in the next 16 months, he himself did not do a single work in that direction," he added.

Highlighting the quality of water flowing in the river, Saxena said the high court prohibited the devotees from offering prayers during the recently concluded Chhath festival due to the filth spread in the Yamuna.

Dismissing a plea seeking a direction to the authorities to permit Chhath Puja rituals along the banks of the Yamuna, Delhi High Court observed that it could not allow harm to the devotees due to the highly polluted river. "Please understand you will fall sick. We can't allow you (devotees) to go into the water. It is highly polluted," the court observed.

LG Lacks Constitutional Authority To Allocate A Single Rupee: AAP

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: AAP has accused LG VK Saxena of "misleading" people and "claiming false" credit for projects undertaken by Delhi govt.

Following LG's post on X regarding the condition of the Yamuna, AAP asserted that the cleaning and maintenance of the Najafgarh and Shahdara drains and the setting up of sewer treatment plants were funded and executed by Delhi Jal Board and the flood and irrigation control department of **Atishi**-led Delhi govt, not by LG, who "lacked" the constitutional authority to "allocate a single rupee".

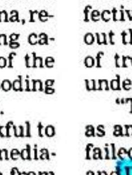

"LG Saab, with his unscientific methods, caused significant damage to Delhi. Without any scientific approach, he used the gravitational agitation method in the Najafgarh drain to stir up silt, not considering that it would settle at the bottom of the Yamuna, reducing its water-holding capacity, which was one of the primary reasons for flooding in Delhi," AAP claimed.

"Delhi govt is thankful to Supreme Court for immediately removing LG Saab from that so-called high-level committee, as it also prima facie accepted that what he was doing was unconstitutional and illegal. LG is now openly questioning the Supreme Court's orders, which is unfortunate for a person holding a constitutional position. LG suggests that he knows better than the Supreme Court," the party added in its statement.

AAP said the funding of all projects was passed by Delhi govt in the legislative assembly, the sanction was given by the ministers, and the allocation was done by the cabinet. "Despite this, LG Saab started a daily charade of taking credit for the work of the elected govt," the party said, adding that during his tenure as the head of the committee, not a single new sewage treatment plant or other project was initiated.

Alleging that several criminal gangs became active in the capital since he took over as LG, AAP said Saxena should rather focus on improving the security and policing in Delhi. It said there were several incidents of firing at shops, hotels, and warehouses, and cases of extortion. AAP claimed the business community in Delhi was living in fear due to "LG's failure" to manage police effectively. AAP also pointed out the alleged illegal felling of trees, saying it was done under LG's directions.

"This clearly shows that as an administrator, LG has failed to manage both police and DDA," AAP said.

The party claimed that the LG secretariat hired a company for Rs 1.5 crore, which "devises" new methods every day for him to take credit for Delhi govt's work.

There have been several instances of AAP and the LG office trading barbs against each other over governance-related issues.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, NOVEMBER 15, 2024----DATED-------

DDA launches 2nd phase of Sasta Ghar scheme offering 2,600 affordable flats

Times News Network

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) launched Phase II of its 2024 "Sasta Ghar" housing scheme on Thursday, offering over 2,600 affordable flats across various localities, including Narela, Rohini, Manglapuri (Dwarka), Siraspur, and Loknayakpuram.

The scheme saw a tremendous response, with more than 600 flats sold in just a few hours on the first day, said DDA officials.

In Manglapuri (Dwarka) alone, all 191 EWS flats were sold out in the first few hours. Flats in Rohini are also selling rapidly, while in Narela, more than 200 EWS flats were already sold.

"This initiative is a strong step by DDA to address the rising demand for affordable housing in Delhi," the official said. Over 2,500 flats are offered in Rohini, Dwarka, Mangolpuri, Ramgarh, Loknayakpuram, Sirsapur, Narela, and other parts of the city under this scheme.

"We aim to facilitate people buying their own houses in Delhi, and all these flats offered in Phase 2 of the Sasta Ghar Housing Scheme are ready to move in. People can visit our website to get registration done prior to booking flats, and they can also visit the site," the official added.

This is in addition to the ongoing sale of the remaining flats out of a total of 9,000 flats offered under Phase I of three schemes – Sasta Ghar, Madhyama Vargiya, and Dwarka Housing Scheme, launched in Aug this year. Officials claimed that at least 1,650 flats out of nearly 9,000 flats offered in Phase I of the Sasta Ghar Housing Scheme and Madhyam Vargiya Housing Scheme 2024 were being sold on a first-come, first-served basis at Jasola, Narela, Rohini, Loknayakpuram, Ramgarh, and Siraspur in various categories until the end of Sept.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 नवंबर 2024

NAME OF NEWSPAPERS--DATED---------------------

पहले दिन डीडीए के 600 फ्लैटों की हुई बुकिंग

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने गुरुवार को सस्ता घर आवास योजना 2024 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसमें नरेला, रोहिणी, मंगलापुरी (द्वारका), सिरसपुर और लोकनायकपुरम के साथ विभिन्न इलाकों में 2,600 से अधिक किफायती फ्लैटों की पेशकश की गई। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार पहले दिन 600 फ्लैटों की बुकिंग हुई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, NOVEMBER 16, 2024 ---DATED-------------------

DDA told to pay for man's death in balcony collapse

Abhinav Garg
@timesofindia.com

New Delhi: Delhi High Court has told DDA to pay a compensation of over Rs 11 lakh to the family of a man who in 2001 fell and died after the balcony of his DDA flat collapsed.

The court said it was "clear that DDA's negligence was the direct cause for the balcony collapse". It said that there was no evidence to suggest that the now "deceased or his family took any deliberate action that could have contributed to seepage or dampness", grounds that DDA cited as causes for the balcony collapse. "On the contrary, it is probable that they used the balcony in the ordinary course of daily life," Justice Dharmesh Sharma said in a recent order. It asked DDA, the land-owning agency for the project, to pay over Rs 11 lakh to the man's widow and her sons, at the rate of 6% per annum from the date of filing of the present writ petition in Jan 2001.

The court pointed out that despite repeated complaints by the man and other residents, DDA refused to act and repair the damage, instead blaming seepage and dampness. The family was living in a second-floor apartment of the multi-storied project developed by DDA for low and medium-income groups in Jhilmil Colony. The petitioners alleged that the construction of the flats was of substandard quality. Its plaster had peeled off within five to six years of construction.

Brushing aside DDA's defence that it was under no obligation to maintain the flat after selling it off, the high court underlined that "DDA had a continuing obligation to ensure the infrastructure's durability and longevity post-allotment. The facts of this case unequivocally demonstrate that latent construction defects, which should have been addressed timely, were the root cause. DDA was responsible for rectifying these defects, either directly or through its agencies," the court said.

The court also took adverse inference of DDA's refusal to furnish the file containing its inspection reports of the collapsed property, despite repeated orders by the high court during the hearing of the plea, which was filed in 2001.

It said that DDA's argument — that the incident occurred almost 12 years after the handing over of the flat — "cuts no ice."

DDA cited an internal report of its engineers to deny liability, but the court termed it "clearly self-serving, one-sided and a complete eye-wash". It pointed out that merely because other balconies were found intact, it "does not imply that all was well with the superstructure of the balcony that collapsed. By all means, DDA was accountable for the quality, strength and lifespan of the balcony's superstructure. The excuse that seepage or leakage caused the damage remains unsubstantiated, as no expert body validated the finding," the court said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2024 दैनिक जागरण TED-----------------------

राजधानी में ग्रेप के नियमों की उड़ रही धज्जियां

सख्ती के बाद भी सड़क से लेकर सरकारी जमीनों पर पड़ी भवन निर्माण सामग्री की धूल फुला रही लोगों का दम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा पहुंच गया है कि ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ गईं। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले मुंह पर मास्क लगा रहे हैं। सरकारी विभाग प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती कर रहे हैं, लेकिन गैस चैंबर बन चुकी दिल्ली में धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों से लेकर खाली मैदानों और सरकारी जमीनों में खुले में भवन निर्माण सामग्री पड़ी है। रोक के बावजूद निर्माण हो रहे हैं।

आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर पूरी दिल्ली के मुकाबले अधिक रहता है। आनंद विहार के कड़कड़ी मोड़ के पास निगम की सड़क पर भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों ने निर्माण सामग्री डाली हुई है। पास में ही एक स्कूल व दो बड़े निजी अस्पताल हैं। जिस वक्त सड़क से वाहन गुजरते हैं तो इतनी धूल उड़ती है कि सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है। निर्माण सामग्री का व्यापार करने वाले धड़ल्ले से ग्रेप के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि जिला प्रशासन व निगम उन्हें कुछ कहेंगे। क्योंकि सरकारी सड़क को घेरकर वह व्यापार कर रहे हैं, इससे ही पता चल जाता है कि विभाग प्रदूषण व अपनी सड़क की सफाई को लेकर कितना गंभीर है। खुरेजी पेट्रोल पंप के पास डीडीए की जमीन को घेरकर लोग निर्माण सामग्री का कारोबार कर रहे हैं। न डीडीए, प्रशासन व निगम को कोई लेनादेना नहीं है। यहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोटी रकम अधिकारियों को जाती है, इस वजह से जमीन पर ही कब्जा करवाया हुआ है। किसी का मकान बन रहा होता है तो कार्रवाई के लिए अधिकारी पहुंच जाते हैं। लेकिन माफिया पर कार्रवाई नहीं करते हैं।

मुकरबा चौक के पास रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य के कारण उड़ती धूल • जागरण

खुरेजी में डीडीए की जमीन पर पड़ी भवन निर्माण सामग्री • जागरण

मुझे जानकारी नहीं है कि खुरेजी में सरकारी जमीन को घेरकर निर्माण सामग्री बेची जा रही है। मामला संज्ञान में आया है इसको दिखवाया जाएगा। - संदीप यादव, एसडीएम प्रीत विहार

स्टेशन	पीएम-2.5	पीएम-10
आनंद विहार	692	932
पटपड़गंज	730	948
सोनिया विहार	555	748
विवेक विहार	639	810

खुरेजी पेट्रोल पंप पर सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत कभी नहीं मिली है। डीडीए ने भी कभी इस बारे में सूचना नहीं दी। अगर वहां उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। वह स्वयं इस मामले को देखेंगे।

- अंशुल सिरोही, उपायुक्त शाहदरा दक्षिणी जोन

प्रतिबंध के बाद भी लकड़ी जलाकर भून रहे मूंगफली

बाहरी दिल्ली के कई क्षेत्रों में ग्रेप का पालन नहीं हो रहा है। लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद भी बुराड़ी में सड़क पर जगह-जगह लोग भट्टी में लकड़ी जलाकर मूंगफली भून रहे हैं। वहीं, हैदरपुर झुग्गी बस्ती के पास बाहरी रिंग रोड स्थित खुले में भवन निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। यहां से सामग्री अन्य जगहों पर ले जाने के लिए वाहनों में लोड किया जाता है। इसे उड़ रही धूल से लोग परेशान दिखे। बाहरी रिंग रोड पर मुकरबा चौक के पास हैदरपुर बादली मोड़ पर अंडरपास का निर्माण हो रहा है। जिसके कारण मुख्य सड़क से लकर फुटपाथ पर धूल उड़ती दिखी।

पश्चिमी दिल्ली में सड़कों पर उड़ रही धूल से बढ़ी दिक्कत

पश्चिमी दिल्ली में सड़कों से लेकर गलियों में जमकर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नजफगढ़-नांगलोई रोड हो या फिर नाला रोड की सड़कों पर उड़ती धूल नियमों को तार-तार कर रही है, जिसकी वजह से यहां के लोग परेशान हैं। इस सड़क पर धूल का गुबार हमेशा उड़ता रहता है। यही नहीं दिवाऊं कला डिपो से लेकर बापरौला की सड़क पर भी धूल का संकट जारी है। जिसकी वजह से वाहनों से आवागमन करने में लोगों को काफी दिक्कत होती है। उत्तम नगर से द्वारका जाने वाली रोड पर सड़क के बीचोबीच मलबा पड़ा हुआ है। द्वारका सेक्टर-14 की सड़क पर भी धूल उड़ने की समस्या बनी हुई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 16 नवंबर 2024 ---------DATED---------

ई-वाहनों के लिए पार्किंग आरक्षित करने पर जोर

प्रदूषण से जंग | 1 |

वाहनों से होता है 51 फीसदी प्रदूषण

दिल्ली में अक्तूबर-नवंबर में प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, लेकिन हाल ही में जारी एक विश्लेषण में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने दिल्ली में सालभर होने वाले प्रदूषण में वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी 51 फीसदी तक होने की बात कही है। प्रदूषण के किसी भी अन्य कारक की तुलना में यह बहुत ज्यादा है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नई गाड़ियों में 14 प्रतिशत ईवी

डीपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि पहले की तुलना में दिल्ली में ई-वाहनों के प्रति लोगों का रुख बढ़ा है। इस साल 15 सितंबर तक कुल बिकने वाले वाहनों में ई-वाहनों की हिस्सेदारी 14 फीसदी तक रही। दिल्ली में कुल तीन लाख 21 हजार से ज्यादा ई-वाहन पंजीकृत कराए गए हैं।

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में पार्किंग में 20 फीसदी जगह ई-वाहनों के लिए आरक्षित की जा सकती है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अपने मास्टर प्लान और दिल्ली नगर निगम को अपने बिल्डिंग प्लान में इसके लिए अलग से प्रावधान करने के लिए कहा है। दिल्ली-एनसीआर को देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित हिस्से में शामिल किया जाता है। यहां साल के ज्यादातर हिस्से में प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। सालभर होने वाले प्रदूषण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाहनों के धुएं की मानी जाती है। इसके चलते डीजल-पेट्रोल वाहन के बजाय ई-वाहन को प्रोत्साहित करने की अलग-अलग योजनाओं पर काम चल रहा है।

डीपीसीसी ने डीडीए से कहा है कि उसे अपने मास्टर प्लान में इस तरह का प्रावधान करना चाहिए, जिसके जरिए 20 फीसदी पार्किंग को ई-वाहनों के लिए आरक्षित किया जा सके। दिल्ली नगर निगम को कहा गया है कि वह अपने बिल्डिंग प्लान में 20 फीसदी जगह ई-वाहन पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन के लिए आरक्षित कर सकता है। इससे दिल्ली में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 16 नवंबर 2024

3.25 लाख ट्यूलिप से खिलेगी नई दिल्ली

NDMC ने तैयार किया ट्यूलिप सिटी बनाने का प्लान, हो रहीं तैयारियां

Sudama.Yadav@timesofindia.com

AI Image

नई दिल्ली: NDMC ने नई दिल्ली एरिया को ट्यूलिप सिटी बनाने का प्लान तैयार किया है। शांति पथ, अकबर रोड, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी सहित अलग-अलग इलाकों में इस साल करीब 3.25 लाख ट्यूलिप लगाए जाएंगे। इसके लिए कई तरह की तैयारियां चल रही है।

NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल के अनुसार, नई दिल्ली एरिया को ट्यूलिप सिटी के रूप में डिवेलप किया जाएगा। लोदी गार्डन में एक ऐसी नर्सरी बनाई गई है, जहां देसी माहौल में ट्यूलिप डिवेलप किए जा सकते है। इस नर्सरी में 20 हजार ट्यूलिप डिवेलप किए जा रहे है। उम्मीद है कि 18 हजार ट्यूलिप दिसंबर के आखिर तक सैपलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा NDMC इस बार 5.5 लाख ट्यूलिप बल्ब खरीद रही है। इसमें से 3.25 लाख बल्ब तो NDMC एरिया में लगाए जाएंगे। शांति पथ के पास ढाई-तीन किमी लंबे स्ट्रेच मे 80 से 90 हजार ट्यूलिप बल्ब लगाने का प्लान है। अकबर रोड, इंडिया गेट, न्याय मार्ग और बाकी जगहों पर भी इसी तरह से ट्यूलिप लगाए जाएंगे। मकसद है कि जिस समय ट्यूलिप से फूल खिले, उस समय दिल्ली वाकई ट्यूलिप सिटी लगे।

- पूरे दिल्ली मे इस सीजन मे 5.5 लाख ट्यूलिप लगाने का प्लान
- लोदी गार्डन की नर्सरी मे देसी माहौल मे डिवेलप हो रहे ट्यूलिप
- शांति पथ के पास 2.5-3 KM लंबे स्ट्रेच में 80 से 90 हजार ट्यूलिप बल्ब लगाने का प्लान

DDA और MCD को मिलेंगे फूल

5.5 लाख मे से 2 लाख ट्यूलिप बल्ब डीडीए को दिए जाएंगे, ताकि डीडीए अपने पार्कों मे इसे लगा सके। 25 हजार ट्यूलिप बल्ब एमसीडी को भी दिए जाएंगे, ताकि इन्हे एमसीडी एरिया के कुछ प्रमुख स्थानो पर लगाया जा सके। ट्यूलिप खरीदने मे जितने पैसे लगे है, उसमे से 2 लाख ट्यूलिप को खरीदने पर जो कीमत आई है, वह डीडीए अदा करेगा। बाकी 25 हजार ट्यूलिप का दाम एमसीडी उठाएगी। ट्यूलिप जब बड़े हो जाएंगे तो एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

नरेला: ग्रीन वैली अपार्टमेंट में आ रहा गंदा पानी

■ एनबीटी न्यूज, नरेला : नरेला के सेक्टर A10 के ग्रीन वैली अपार्टमेंट मे करीब एक हफ्ते से लोगो के घरो मे गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। लोगो का कहना है कि समस्या को लेकर डीडीए से शिकायत की है, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं हो रहा है। एनबीटी आउटर दिल्ली सुरक्षा कवच ग्रुप के सदस्य रविंद्र मित्तल बताते है कि अभी जो पानी घर मे आ रहा है, वह बहुत गंदा और बदबूदार है, जिसे लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते है। लोगो को बोतल बंद पानी खरीदकर पीना पड़ता है। उन्होने कहा कि अपार्टमेंट की पाइपलाइन कई साल पुरानी है, जो कई जगह से डैमेज हो चुकी है। इसके कारण कुछ ब्लॉक मे बेहद गंदा और काला पानी पहुंचता है। लोगो ने बताया कि वह पानी के एवज मे अच्छी खासी रकम डीडीए को देते है, लेकिन उन्हे साफ पानी तक नही मिल रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2024 दैनिक जागरण ED-----------------------

बालकनी गिरने से हुई थी व्यक्ति की मौत, डीडीए देगा मुआवजा

- डीडीए को मृतक के परिवार को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का दिया निर्देश
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मकान का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जुलाई 2000 में डीडीए अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल की बालकनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को जिम्मेदार माना है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने कहा कि डीडीए की लापरवाही बालकनी गिरने का प्रत्यक्ष कारण थी। अदालत ने माना कि आवंटन के बाद बुनियादी ढांचे की टिकाऊ बनाना और उसकी दीर्घायु सुनिश्चित करना डीडीए का दायित्व था। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ डीडीए को मृतक के परिवार को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पीड़ित परिवार झिलमिल कालोनी में निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए डीडीए द्वारा विकसित बहुमंजिला परियोजना में दूसरी मंजिल के फ्लैट में रह रहा था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मकान का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था और निर्माण के पांच से छह साल के भीतर प्लास्टर उखड़ गया, जबकि इसे 40-50 साल तक चलना चाहिए था। पीठ ने तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि निर्माण दोष के कारण ही बालकनी गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई थी। डीडीए इन खामियों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार था।

डीडीए ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि खराबी या रखरखाव न होने की जिम्मेदारी निवासी की थी। डीडीए ने कहा कि भवनों का निर्माण वर्ष 1986-87 में किया गया था और एजेंसी इतनी लंबी अवधि के बाद उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार नहीं थी। इतना ही नहीं क्षेत्र को 1993 में गैर-अधिसूचित कर दिया गया था और रखरखाव सहित सभी निर्माण गतिविधियों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि भवनों का निर्माण डीडीए द्वारा किए जाने के कारण एमसीडी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
NOVEMBER 17, 2024 DATED----

NDMC to get 5.5L tulip bulbs for ₹1.6 crore soon

Vibha.Sharma
@timesofindia.com

File photo

WINTER BLOOM: NDMC hopes to begin the plantation by mid-Dec

New Delhi: New Delhi Municipal Council has initiated the process to procure 5.5 lakh tulip bulbs at a cost of Rs 1.6 crore, to adorn, as usual, important parks, gardens and roundabouts in the city. Plantation will begin by mid-December.

It also wrote to the CSIR-Institute of Himalayan Bio-resource Technology in Palampur to provide the bulbs preserved in 2023 after the flowering season ended for replanting. "The bulbs treated and preserved in 2023 will be used this winter. We asked the institute to supply some bulbs for reuse," and NDMC official said.

Last year, NDMC preserved 54,000 bulbs after the flowering season ended. Of them, 52,000 bulbs were sent to the CSIR-IHBT, Palampur, for further research, and the rest to the NDMC's advanced high-tech nursery at Lodhi Garden.

Given the bigger order for bulbs this year, NDMC will also enhance the cold storage capacity. "A tender has been floated for establishing a second climate-controlled tulip propagation and storage chamber at Lodhi Garden nursery, where these bulbs will be programmed and treated before plantation. We are assuming the development of the facility in the next two months. The chamber can cater to 36,000 bulbs at a time," said an official.

Of the 5.5 lakh tulip bulbs being procured, 3.5 lakh will be used to liven up Lutyens' Delhi and the remaining distributed among Delhi Development Authority, MCD and PWD. This year, the entire NDMC area, including its 52 roundabouts and prominent places like the diplomatic area of Shanti Path, Talkatora Garden, Windsor Place, Central Park in Connaught Place, Mandi House, Akbar Road, Chanakyapuri, etc., will get tulip flowers. "Our teams are also doing ground surveys and exploring options to identify new roads and green areas where traffic movement is lower and sufficient water supply is available to plant the bulbs," said the official. MCD will also introduce flowers in its major parks for the first time.

NDMC is a pioneer in tulip plantation in public areas in central Delhi, inspired by the vision of Rashtrapati Bhawan. The tulip planting project, initiated five years ago, is part of NDMC's ongoing dedication to creating a more beautiful and prosperous capital city, said officials.

In 2023, three lakh tulip bulbs were imported from the Netherlands, with one lakh designated for DDA and the rest to adorn public spaces across Lutyens' Delhi. "Apart from tulips, other seasonal flowers like salvia, petunia, antirrhinum and marigold were also planted," said the official.

LG: 642 village works taken up in 7 mths, more to come

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In about seven months since the launch of Dilli Gramodaya Abhiyan (DGA), 642 development works have been undertaken in the villages of Delhi, with many more in the pipeline, the lieutenant governor's office said on Saturday.

Officials said LG VK Saxena recently reviewed the progress and status of the works and expressed satisfaction with their progress. A total of Rs 960 crore will be spent on the upgradation and augmentation of civic infrastructure in Delhi's villages. Senior officials of Delhi Development Authority which is funding and implementing the projects, and MCD and irrigation and flood control department, the two agencies executing the projects, were present at the meeting.

According to officials, the works began in villages after the launch of the scheme in March this year by Union home minister Amit Shah. "Out of 642 projects, 111 were already completed, 296 are in the advanced stage of completion, while the work on 118 has started and is in the early stages. The remaining 117 projects are at the stage of sanctioning and pre-implementation," said a Raj Niwas official.

Officials said that Saxena recently reviewed the progress and status of the projects and expressed satisfaction with their progress

Officials added that piped gas connections were provided to 93 of 200 identified villages, while the work for the remaining 107 will be completed by March 2025. Another official said that 43 villages will have piped gas connections by Dec.

"These connections are being provided by Indraprastha Gas Limited (IGL) under the aegis of DGA, but are not being funded from the allocated amount of Rs 960 crore," the official said.

Officials said the works being undertaken under DGA included the development of parks, gymnasiums, roads, sewers, water bodies, cremation grounds, and other civic amenities, which were previously neglected. These projects were selected after detailed on-ground consultations with the residents. The district magistrates held three rounds of discussions with villagers and stayed in the villages during special camps specifical-

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
SUNDAY
NOVEMBER 17, 2024

NAME OF NEWSPAPERS---DATED--------------------

LG REVIEWS CIVIC, INFRASTRUCTURE WORKS IN DELHI'S URBAN VILLAGES

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor (LG) VK Saxena on Saturday reviewed the work being undertaken in urban villages of Delhi under the Dilli Gramodaya Abhiyan (DGA), officials from the LG secretariat said.

The Delhi Development Authority, along with other civic authorities, is carrying out 642 works in 200 identified villages related to infrastructure development and civic amenities since March this year when the scheme was launched, officials said. More than ₹960 crore has been allocated for the same.

The works include development of parks, gymnasium, roads, sewers, water bodies, cremation grounds, pastures and other civic amenities.

"Work began in these villages after inauguration of DGA in March this year by Union home minister Amit Shah. Out of the 642 works, 111 have already been completed, 296 are in advance stage of completion and 118 were in early stages of implementation," said an official. Additionally, piped gas connection to 93 villages have been completed, while the remaining will be supplied by March 2025. "These connections are being provided by IGL...and are not being funded from the allocated amount," the official added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 नवंबर, 2024 TED-----------------------

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत तेजी से हो कार्य : उपराज्यपाल

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वाकांक्षी पहल दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के गांवों में चल रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। ग्रामोदय अभियान में बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने से संबंधित 642 कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में डीडीए, दिल्ली नगर निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे। इस अभियान में कुल 960 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

राजनिवास के अनुसार दिल्ली ग्रामोदय अभियान के 642 कार्यों में से 111 पूरे हो चुके हैं। 296 पर काम चल रहा है, 118 कार्य प्रारंभिक चरण में हैं और 117 परियोजनाएं अनुमोदन और प्रारंभिक कार्यान्वयन की स्थिति में हैं। इसके अलावा अभियान के तहत चिन्हित 200 गांवों में से 93 गांवों में गैस पाइपलाइन कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 107 गांवों में यह कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें से 43 गांवों में दिसंबर तक गैस पाइपलाइन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह कनेक्शन 960 करोड़ की स्वीकृत राशि से वित्त पोषित नहीं हैं।

एलजी वीके सक्सेना

- कहा- दिल्ली के गांवों में 642 विकास कार्य कराए जा रहे हैं
- इनमें से 111 विकास कार्य हो चुके हैं पूरे, 296 पर चल रहा काम
- गांवों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किए जाएंगे 960 करोड़ रुपये

गांवों में किए जा रहे ये कार्य

इन कार्यों में उद्यानों का विकास, व्यायामशाला, सड़कें, सीवर, जल निकाय, श्मशान घाट, चारागाह और अन्य आमजन की सुविधाएं शामिल हैं। एलजी दफ्तर ने कहा कि ये गांव अब तक दिल्ली सरकार की उदासीनता से उपेक्षित थे। अन्य परियोजनाएं भी प्रक्रिया में हैं। इन्हें मंजूरी के लिए एलजी द्वारा मंजूर करने से पहले एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

ट्यूलिप खरीदने की प्रक्रिया शुरू, दिसंब के तीसरे सप्ताह में लगाए जाएंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में ठंड के मौसम में रंग-बिरंगे ट्यूलिप खिलने का लोगों का इंतजार रहता है। लोग इन ट्यूलिप को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इसलिए हर वर्ष की तरह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने ट्यूलिप खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एनडीएमसी ने 1.60 करोड़ रुपये की लागत से 5.50 लाख ट्यूलिप खरीदने की निविदा जारी कर दी है। एनडीएमसी की योजना है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में इन ट्यूलिप के बल्ब को लगाना शुरू कर दिया जाएगा।

चाणक्यपुरी में शांतिपथ के किनारे खिले ट्यूलिप • जागरण आर्काइव

एनडीएमसी अपने 52 गोल चक्करों पर लगाएगी ट्यूलिपः चहल : एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि 5.50 लाख ट्यूलिप आएंगे। इसमें एनडीएमसी 3.50 लाख ट्यूलिप का उपयोग स्वयं करेगा, जबकि शेष ट्यूलिप के बल्ब नगर निगम के साथ ही डीडीए को दिए जाएंगे। चहल ने बताया कि एनडीएमसी अपने 52 गोल चक्करों के साथ ही प्रमुख उद्यानों मार्गों पर यह ट्यूलिप लगाएगी। एनडीएमसी इलाके में कर्मियों के लिए आवासीय परिसरों के उद्यानों में भी ये ट्यूलिप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी नए स्थान की तलाश कर रही है, ताकि लोगों के नजदीक ट्यूलिप खिल सकें। उन्होंने बताया कि फरवरी

कुलजीत चहल।

के मध्य में ये फूल खिलने शु
जाते हैं। वर्ष 2018 में एनडी
ने ट्यूलिप लगाने का प्रयोग
किया था। बीते वर्ष 2023 हा
तीन लाख ट्यूलिप बल्ब मंग
थे। इसमें एक लाख बल्ब डी
उपयोग किए थे।

चहल ने बताया कि ट्यूलि
अलावा सड़कों के किनारे
और विदेशी किस्म के फूल
अन्य पौधे भी लगाए
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने
कि ट्यूलिप की आपूर्ति दिस
पहले सप्ताह में होने की उम्म

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, रविवार, 17 नवंबर 2024

हाईकोर्ट ने डीडीए पर जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 45 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। युवक की जुलाई, 2000 में दूसरे तल के अपार्टमेंट की बालकनी गिरने से मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने फैसला में कहा कि डीडीए की लापरवाही व्यक्ति के बालकनी गिरने का कारण थी।

अदालत ने डीडीए को मृतक की विधवा और दो बच्चों को 11.44 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही जनवरी, 2001 से छह फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने को कहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 17 नवंबर 2024

NAME OF NEWSPAPERS-- DATED

DDA अपने फ्लैट के स्ट्रक्चर में खामियों के लिए ज़िम्मेदार : HC

Structure

झिलमिल कॉलोनी का मामला, 24 साल पहले बालकनी ढहने से हुई थी मौत

Prachi.Yadav@timesofindia com

■ नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 साल पहले एक व्यक्ति की अपने फ्लैट की बालकनी ढहने से मौत के लिए डीडीए को लापरवाही का दोषी ठहराया है। हादसा झिलमिल कॉलोनी मे डीडीए की ओर से 1986-88 मे बनाए गए रेजिडेंशल परिसर मे हुआ था। हाई कोर्ट ने डीडीए को मृतक की पत्नी और दो बच्चो को ब्याज के साथ 11 लाख 44 हजार से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि डीडीए फ्लैटो के आवंटन के बाद उनमे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह याचिकाकर्ताओ को मुआवजा दे।

जस्टिस धर्मेश शर्मा ने प्रमिला रस्तोगी और उनके बच्चो की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। डीडीए को 11 लाख 44 हजार 908 रुपये का मुआवजा पीड़ित परिवार को 6 हफ्तो के भीतर देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उसे 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना है, जिसे

HC ने डीडीए को मृतक की पत्नी, दो बच्चों को ब्याज के साथ मुआवजा देने को कहा

2001 से लेकर मुआवजे की रकम का भुगतान होने तक की अवधि तक जोड़ा जाएगा। याचिकाकर्ताओ ने मुआवजे के साथ झिलमिल कॉलोनी, फेज-2 मे 816 फ्लैटो वाले रेजिडेंशल प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारो की जिम्मेदारी तय करने के लिए सीबीआई से जांच की मांग भी की थी। याचिकाकर्ताओ के वकील डी. के. रस्तोगी ने कोर्ट को तथ्यो और परिस्थितियो से अवगत कराया। जिसके मुताबिक निर्माण मे घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत वहा की RWA ने डीडीए से की थी। आरोप है कि डीडीए ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था। 20 जुलाई 2000 को सुरेश रस्तोगी के साथ यह हादसा हो गया, जो एमसीडी मे काम करते थे। दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने फ्लैट की बालकनी ढहने से वह बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के चार दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।

फ्लेट मालिक पर डाल दी गई थी जिम्मेदारी : हादसे के तुरंत बाद डीडीए के चीफ इंजीनियर ने साइट का इंस्पेक्शन किया था, जिसमे सारी जिम्मेदारी फ्लैट मालिक पर डाल दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा, चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट साफतौर पर एकतरफ़ा और पूरी तरह से भ्रमित करने वाली है। कोर्ट ने कहा, केवल इसलिए कि फ्लैटो की अन्य बालकनियां दुरुस्त पाई गई, इसका मतलब यह नही है कि ढहने वाली बालकनी का ढांचा ठीक था। बालकनी गिरने की सीधी वजह डीडीए की लापरवाही थी।

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 17 नवंबर 2024

दिल्ली के गांवों में शुरू हुए 642 विकास कार्य

■ विशेष संवाददाता, नई दल्ली

'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' शुरू होने के लगभग सात महीने बाद दिल्ली के गांवो मे 642 विकास कार्य शुरू किए गए है। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने हाल ही मे DDA के दिल्ली ग्रामोदय अभियान (DGA) के तहत गांवों में किए जा रहे कामों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक मे DDA (फंडिंग एजेंसी और आंशिक रूप से कार्यान्वयन एजेंसी) समेत DGA के प्रोजेक्ट और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली के गांवों में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर 960 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाएगा।

LG ऑफिस ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अभी 642 काम किए जा रहे है। इस साल मार्च में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा DGA के उद्घाटन के बाद इन गांवों में काम शुरू हुए और लगातार स्पीड से चल रहे है। 642 कार्यों में से 111 पहले ही पूरे हो चुके थे, 296 पूरा होने के आखिरी स्टेज में थे और 118 शुरुआती स्टेज में थे। 117 परियोजनाएं मंजूरी और कार्यान्वयन से पहले की स्टेज में थीं।

मीटिंग में बताया गया कि DGA के तहत जिन 200 गांवों को चुना गया है, उनमें से 93 गांवों में पाइप गैस कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया गया है। इनके अलावा बाकी 107 गांवों के लिए काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इनमें से 43 गांवों में इस दिसंबर की शुरुआत में पाइप गैस कनेक्शन दे दिए जाएंगे। LG ऑफिस की ओर से बताया गया कि DGA के तहत किए जा रहे काम मे इन गांवों में पार्क, जिम, सड़क, सीवर, वॉटर बॉडी, श्मशान घाट, चारागाह और बाकी नागरिक सुविधाओं का विकास शामिल है, जो अब तक दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण उपेक्षित पड़े थे।

इन प्रोजेक्ट को स्थानीय निवासियों के साथ परामर्श करने के बाद तय किया गया है। इसके लिए डीएम तीन बार गांवों मे रुके और इस उद्देश्य के लिए गांवो में रखे गए कैप मे लोगो से परामर्श किया। बाकी प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन मे है और LG की मंजूरी दिए जाने से पहले DDA की एक समिति इन प्रोजेक्ट्स पर विचार कर रही है।

■ **LG ने की समीक्षा, 200 गांवों को चुना गया है, 960 करोड़ होंगे खर्च**

■ **93 गांवों में पाइप गैस कनेक्शन का काम पूरा**

NBT Lens
समझिए खबरों के अंदर की बात

गांवों में विकास कार्यों पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी ?

दिल्ली के शहरी इलाके मे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तो काम होता है, लेकिन देहात मे इस दिशा मे उतनी तेजी से काम नही हो पाता। दिल्ली के गांवो मे एक बड़ी आबादी रहती है। वैसे भी दिल्ली मे डीडीए ने जो नई कॉलोनिया बसाई है, वह इन गावो से औने-पौने दामो पर लेकर हो बसाई है।

लेकिन यहा सुविधाए विकसित करने पर ध्यान नही दिया। इसकी वजह से शहरीकृत गाव तो स्लम जैसे बन गए है। देहाती गावो मे भी बुनियादी सुविधाओ का अभाव है। सफाई न होने और क्षमता के मुकाबले पानी, सीवर का कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर गावो मे रहने वालो की हेल्थ को भी प्रभावित करता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, NOVEMBER 18, 2024 -----DATED-----------------------

How Delhi Is Easing Floodpain, Bit By Bit

1,536 Acres Of Riverine Land Recovered From May To Sept

Siddhanta.Mishra
@timesofindia.com

New Delhi: Between May 2022 and Sept this year, the authorities reclaimed 1,536 acres of the Yamuna floodplain. Encroachment of the riverine land, especially for construction of houses, has been a big problem and is considered a major reason for urban flooding and waterlogging. The floodplain is crucial to the river's ecosystem and important for recharging groundwater.

Encroachment of the riverine land has been a big problem and is considered a major reason for urban flooding & waterlogging

The Yamuna has a 22-km course across the city and its floodplain now has been marred by unauthorised structures such as houses, dairies, slum clusters and illegal farms. These are often cleared during anti-encroachment drives conducted by Delhi Development Authority, the owner of the floodplain land.

Recently, during the examination of the matter related to bane of waterlogging in the city in Delhi High Court, chief secretary Dharmendra presented a report detailing efforts made to deal with the problem. In 2023, for several days, parts of central and north Delhi were flooded by the spillover from a Yamuna in spate.

Several environmental experts said that the persistent waterlogging and aggravated episodes like these were closely related to encroachment and construction on the floodplain. Yet, large portions of the riverine land remain occupied by illegal establishments. Officials said there were at least four separate cases going on in the high court related to encroachment and illegal construction on the floodplain.

In 2014, a report by a National Green Tribunal team similarly pointed out that not only were there illegal structures on the floodplain, but the bridges built there had also proven problematic for the river's flow.

In July this year, the high court directed DDA to fence both the riverbank and the riverbed after removing all encroachments and illegal constructions on the floodplain to ensure no illegal construction took place in the future. It also asked for the drains flowing into the river to be barricaded.

Since 2020, DDA has developed 10 biodiversity parks on the Yamuna floodplain. Four were created on land that was encroachment-free, while the remaining had to contend with encroached land, including land under litigation.

Under Delhi's Master Plan 2021, the floodplain along the 22km stretch of the Yamuna in Delhi comprises the O zone, with restrictions placed on construction there. In the draft Master Plan 2041, DDA has divided the O zone into O zone I and O zone II. In the former, designated the 'river zone', no construction will be permitted. Some regularized development will be allowed in the latter. Currently, there are around 76 unauthorised colonies in O zone II, which DDA proposes to delineate to regularise construction activities.

CLEARING ENCROACHMENTS

File Photo

Delhi stretch of Yamuna spans **22km**

In 2023, NGT constituted a high-level-committee to identify and demarcate floodplain

90% work for demarcation of floodplain completed, according to officials

1,536 acres of land on floodplain freed between 2022 and 2024

10 projects taken up by DDA on the floodplain for development of riverfronts, eco parks, wetlands, etc

Land freed mainly in three areas
1. Okhla
2. Khizrabad
3. Jogabai

PREVENTIVE MEASURES IN PLACE

- Aerial mapping of floodplain using drones and to track quantum and locations where debris are being dumped
- Satellite image tracking of new JJ clusters
- Security guards deployed to provide protection and monitor land

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 18 नवंबर 2024 ----------DATED--------------------

केंद्र को चैलेंज देता हूं, बताए पूर्वांचल समाज के लिए क्या किया: केजरीवाल

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों पर राजनीति कर रही BJP को आड़े हाथों लिया। रविवार को उन्होंने कहा कि केंद्र की BJP सरकार के पास अथाह ताकत और पैसा है, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल समाज और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक काम नहीं किया। वहीं AAP सरकार ने पूर्वांचल समाज और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अनेकों काम किए हैं। हमने कच्ची कॉलोनियों में सीवर और पानी की पाइपलाइन डलवाई, बिजली के कनेक्शन कराए, जबकि BJP की केंद्र सरकार ने केवल कामों में अड़ंगा लगाया। अमित शाह को चुनौती देता हूं कि वह एक काम बता दें जो उनकी सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में किया हो। BJP चाहती तो कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री करा देती, स्कूल, सड़क बनवा देती, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो सरकारें हैं। एक दिल्ली की राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी है और संसाधन भी हैं। केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है, उसके पास कोई कमी नहीं हैं। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए हमेशा काम किया। मैं चैलेंज करता हूं BJP और अमित शाह को कि वे एक काम बता दें, जो उन्होंने किया हो। वे खड़े होकर पूर्वांचल समाज को यह बताएं कि पूर्वांचल समाज उन्हें वोट क्यों दे? एक भी कारण बता दें। उनके पास तो इतना पैसा था कि वे कॉलोनियों की सारी गलियां बना देते। उन्होंने कहा था कि कॉलोनियों की रजिस्ट्री कराएंगे। क्या इन्होंने रजिस्ट्री कराई? इन लोगों ने झूठ बोला।

केजरीवाल ने कहा कि BJP वाले चाहते तो कच्ची कॉलोनियों में स्कूल बनवा देते। DDA के जरिए जितना काम करवा सकते थे, ये लोग कच्ची कॉलोनियों में उतना काम करवा देते। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि नीयत नहीं थी। इन लोगों को गंदी राजनीति करनी थी। काम केवल हम लोगों ने करवाया। मैंने इतने काम गिनवा दिए, ये एक काम बता दें। मैंने 6800 किलोमीटर की सीवर पाइप लाइन डलवाई है। 10 हजार किलोमीटर की सड़कें बनवाई हैं। मैंने 6800 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं। कई और काम करवाए हैं। कई मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल बनवाए हैं, ये लोग एक काम बता दें, जो इन्होंने दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लिए किया है।

Photos: PTI

पिछले दिल्ली चुनाव के दौरान अमित शाह और हरदीप पुरी ने कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री कराने का वादा किया था लेकिन पांच साल बाद भी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई।
-केजरीवाल

गिनाई अपनी योजनाएं

- पूर्व CM ने कहा, BJP ने कच्ची कॉलोनियों और पूर्वांचल समाज के लिए कुछ भी नहीं किया
- दिल्ली को दो सरकारें चलाती हैं, केंद्र सरकार ने केवल कामों में अड़ंगा लगाया है: केजरीवाल

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 18 नवंबर 2024

NBT CITIZEN REPORTER आपकी आवाज

आपकी खबर से

बदलेगा शहर

वेबसाइट nbtcitizen.com पर जाकर लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद खबर, फोटो और विडियो अपलोड करें।

पब्लिक टॉयलेट के बाहर गंदगी

ईस्ट ऑफ कैलाश
सपना सिनेमा कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग नंबर 9 के सामने कम्युनिटी सेंटर के पास पब्लिक टॉयलेट के बाहर यूरिन बहता रहता है। राहगीरों को बदबू की वजह से दिक्कत होती है। - **सिटिजन रिपोर्टर विवेक मित्तल**

शकरपुर : 3 कर्मचारियों पर 19 पार्कों की ज़िम्मेदारी

■ राम त्रिपाठी, शकरपुर

वॉर्ड नंबर 202 शकरपुर मे छोटे-बड़े 19 पार्क है। हालांकि उनमें से एक भी पार्क ऐसा नही है जिसे देखकर वहां आने वाले लोग राहत महसूस कर सके। हर पार्क मे गंदगी, सूखे पौधे और उड़ती धूल मिल जाती है। लोगों को कहना है कि इस बारे में लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। मगर कोई सुनवाई नही हो रही है।

पार्कों की बदहाली का कारण स्टाफ की कमी बताया जा रहा है। MCD हॉर्टिकल्चर विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इन सभी 19 पार्कों की देखभाल के लिए केवल 3 कर्मचारी है। वे ही माली से लेकर सफाई का काम करते है। हर पार्क में नियमित रूप से सफाई और सिंचाई का काम बिल्कुल नहीं हो पता है। हफ्ते 10 दिन मे एक पार्क की सफाई व पौधों की सिंचाई का नंबर आता है।

सबसे अधिक खराब स्थिति संजय पार्क, महिला पार्क और DDA पार्क की है। इन पार्कों में पीपल, बरगद के पेड़ अधिक है। इस कारण लोग अपने घरों की पूजा का सामान, टूटी मूर्तियां आदि भी पेड़ों के आसपास रखकर चले जाते है। यहां रहने वाले नरेश कुमार गोला ने बताया कि कई बार पार्क में आने वाले लोग ही वॉकिंग ट्रैक और बेंचों की सफाई करने को मजबूर होते है। मगर यह सिलसिला ज्यादा नहीं चल पाता है। पार्कों में सिंचाई नहीं होने के कारण पौधे सूख गए है। जगह-जगह जंगली घास उग आई है। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है। यह नजारा सुबह और शाम सैर करने आने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक नही है। मजबूरी में लोग वहां आते है। लोगों ने बताया कि पार्कों की बदहाल स्थिति के बारे में कई बार संबंधित विभाग से लेकर मुख्यमंत्री और LG तक से गुहार लगाई जा चुकी है। मगर कोई फायदा नही हो रहा है।

हर पार्क में गंदगी, सूखे पौधे और उड़ती धूल

■ पार्कों की बदहाली का कारण स्टाफ की कमी बताया जा रहा है
■ जगह-जगह जंगली घास उग आई है

संजय पार्क और DDA पार्क की हालत सबसे खराब

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, सोमवार, 18 नवंबर 2024

आवास योजना के बारे में कॉल सेंटर से संपर्क करें

डीडीए की आवासीय योजना के फ्लैटों के पंजीकरण और बुकिंग को लेकर 1800110332 पर कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। लोगों को नरेला, रोहिणी सेक्टर-34 व 35, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रामगढ़ कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस व एमआईजी फ्लैट खरीदने का अवसर मिलेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS--- NEW DELHI | FRIDAY, 15 NOVEMBER, 2024

'TODAY, THE FACILITIES IN GOVT SCHOOLS EVEN SURPASS THOSE IN PRIVATE SCHOOLS'

Children's Day: CM inaugurates 131-room school at Sunder Nagri

OUR CORRESPONDENT

The Sarvodaya school with 131 classrooms, seven laboratories, one library, two multi-purpose halls, and one conference room will operate in two shifts, offering all three streams – arts, commerce, and science: CM

NEW DELHI: On the occasion of Children's Day, Chief Minister Atishi inaugurated a new, world-class government school in Sunder Nagri, Northeast Delhi. The school, built by the AAP government, aims to provide top-tier education to over 7,000 students in an area that has long struggled with overcrowded classrooms.

Speaking at the event, CM Atishi praised the school's development, noting the contrast with the area's past. "Sundar Nagri and Nand Nagri are among the most densely populated areas in Delhi. To see such a magnificent world-class school here, in such a crowded area where even walking space is limited, is unbelievable," she said. She also recalled the conditions before the AAP government took charge. "When our government was first elected in 2015, and we inspected schools in this area, every classroom was filled with 100-150 students, with children sitting on floors and mats. Even the best teacher would struggle to provide quality education in such conditions," Atishi explained.

The newly inaugurated Sarvodaya school spans five stories and is equipped with 131 classrooms, 7 laboratories, a library, two large multi-purpose halls, and an activity room. The school will offer all three academic streams, Arts, Commerce, and Science, and operate in two shifts. Atishi emphasised, "This school will become a hub for world-class education for 7,000 children amidst the densely populated area of Northeast Delhi."

The land for the school had been seized by land mafias but was reclaimed by the Delhi government. "This land was originally allocated by the DDA to the Education Department for building a school in 2003. However, previous parties and leaders showed no interest in the education of ordinary children, and it eventually fell under the control of land mafias," Atishi said. "But when the AAP government, led by Arvind Kejriwal, came to power, we fought and reclaimed this land, finally commencing the school's construction."

Atishi also highlighted the broader transformation of Delhi's public education system, noting the addition of 22,700 classrooms since 2015. "Today, the facilities in government schools even surpass those in private schools," she added.

Concluding her address, CM Atishi urged Delhi's residents to continue supporting a government that prioritizes education, "If the people of Delhi want good schools and a bright future for their children, they must once again choose a government that prioritises education."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NAME OF NEWSPAPERS
NEW DELHI | FRIDAY | NOVEMBER 15, 2024

DDA launches Phase-II of 2024 Sasta Ghar housing scheme

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) on Thursday launched Phase II of its 2024 Sasta Ghar housing scheme offering over 2,600 affordable flats across various locations, including Narela, Rohini, Manglapuri (Dwarka), Siraspur and Loknayakpuram.

According to a statement, the authority said that the scheme has seen a tremendous response, with more than 600 flats sold in just a few hours on the first day.

"In Manglapuri (Dwarka) alone, all 191 EWS flats were sold out in the first few hours. The flats in Rohini are also getting sold out rapidly, while more than 200 EWS flats have already been sold in Narela," it stated.

This initiative is a strong step by the DDA to address the rising demand for affordable housing in Delhi, the statement added.

Earlier, the authority had launched three housing schemes offering a variety of flats located at different places across the city catering to all categories of income groups, which was approved at the Authority meeting at Raj Niwas.

According to proposals, DDA Sasta Ghar Housing Scheme 2024 will offer lower income group (LIG) and economically weaker sections (EWS) flats at discounted rates in Ramgarh Colony, Siraspur, Loknayakpuram, Rohini, and Narela through first come first serve (FCFS) mode, making housing more accessible and enabling a common man to own a house in Delhi for low income group. Under the scheme, around 34000 flats are to be offered, with starting price as low as approximately Rs. 11.5 lakh.

Under the General Housing scheme, flats of all categories including high income group (HIG), middle income group (MIG), LIG and EWS at different localities like Jasola, Loknayakpuram and Narelawill be offered at 2023 prices without any price escalation. The starting price of flats is approximately Rs. 29 lakh and around 5400 flats to be offered under this scheme.

DDA's Dwarka Housing Scheme will offer MIG, HIG and higher category flats in Sector 14, 16B and 19B of Dwarka through an e-auction process.

This will provide an opportunity to people to own a house in the upscale area of Dwarka. About 173 flats are being offered under the scheme, with starting price of Rs. 128 lakh.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शुक्रवार • 15 नवम्बर • 2024

राष्ट्रीय सहारा = NAME OF NEWSPAPERS---DATED----------------------

मरम्मत कार्य के चलते जलापूर्ति रहेगी प्रभावित

नई दिल्ली। पल्ला एमबीआर में नए बिछाए गए 1500 मिलीमीटर और 900 मिलीमीटर व्यास के इनलेट वॉटर मेन और स्काडा सेंटर पल्ला में आउटलेट पर 1300 मिलीमीटर व्यास के इंटरकनेक्शन कार्य के कारण कई इलाकों में 20 की शाम और 21 की सुबह जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी अथवा कम दबाव पर उपलब्ध होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से आग्रह किया है कि इस दौरान वे पर्याप्त जल भंडारण करके रखें। दिल्ली जल बोर्ड ने जारी बयान में कहा है कि प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बख्तावरपुर, झंगोला, तिगीपुर, कुशक नंबर-3, मोहम्मदपुर, रमजानपुर, सिंघु, पल्ला, ताजपुर, अकबरपुर माजरा, अलीपुर, जींदपुर, बकौली, खामपुर, बूढ़पुर, हमीदपुर गांव, होलंबी कलां, होलंबी खुर्द, खेड़ा कलां, खेड़ा खुर्द, नया बांस, मामूरपुर, पाना उद्यान/पापोसियन नरेला, नरेला की यू/ए कॉलोनियां, नरेला की नियमित कॉलोनियां, जेजे क्लस्टर नरेला, डीडीए क्षेत्र नरेला औद्योगिक क्षेत्र नरेला और मेट्रो विहार चरण-1 और 2 होलंबी कलां गांवों के पास।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NAME OF NEWSPAPERS-- NEW DELHI I SATURDAY I NOVEMBER 16, 2024

From Sarai Kale Khan to Birsa Munda Chowk, a historical journey

RAJESH KUMAR ■ NEW DELHI

Mediaeval era origin Sarai Kale Khan Chowk dating back to the 16-17 Century will now be called Birsa Munda chowk in a tribute to the tribal icon and freedom fighter. The renaming, on the occasion of his 150th birth anniversary, was announced on Friday by Union Minister of Housing and Urban Affairs Manohar Lal. November 15 was declared 'Janjatiya Gaurav Divas' by the Central government in 2021.

Sarai Kale Khan is one of the busiest areas of Delhi, particularly due to the Inter-State Bus Terminal (ISBT) from where buses ferry travellers to destinations across north India. In the past, it was known as Moocho Waali Sarai (Inn of Moustaches) because every man had long moustaches, which was a symbol of masculinity in those days.

The renaming of the historic area, comes ahead of the Delhi Assembly polls, and was announced by the minister on the occasion of the unveiling of a statue of Birsa Munda by Union Home Minister Amit Shah and Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena at the Baansera Bamboo Park near Sarai Kale Khan inter-state bus terminus (ISBT) in south-east Delhi. President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and several leaders also paid tributes to the great leader.

Birsa Munda spearheaded a tribal movement that started in the Bengal Presidency (now Jharkhand) in the late 19th century, making him an important figure in the history of the country's independence movement.

Union Home Minister Amit Shah, Delhi Lt Governor Vinai Kumar Saxena, Union Minister Manohar Lal Khattar, Union Minister of State Harsh Malhotra, BJP MPs Manoj Tiwari, Bansuri Swaraj, Kamaljeet Sehrawat and Ramvir Singh Bidhuri and others during the unveiling of a statue of freedom fighter Birsa Munda on his birth anniversary PTI

Born in 1875 in present-day Jharkhand, Munda had challenged British rule and is credited with mobilising tribals against the empire. He died in British custody at a young age of 25 years. Munda, the hero of the Indian tribal freedom struggle, played a pivotal role in inspiring the tribal community of the Chotanagpur region to fight for their independence. He led the armed revolution known as "Ulgulan" (the rebellion) against British rule. He belonged to the Munda tribe in the Chhotanagpur Plateau area. He spearheaded an Indian tribal mass movement that arose in the Bihar and Jharkhand belt in the early 19th Century, to protest British colonisation.

Munda rallied the tribals to fight against the forceful land grabbing carried out by the British government, which would turn the tribals into bonded labourers and force them to abject poverty. He influenced his people to realise the importance of owning their land and asserting their rights over it.

He founded the faith of Birsait, a blend of animism and indigenous beliefs, which emphasised the worship of a single god. He became their leader and was given the nickname, 'Dharti Aba' or the father of the earth. He died on June 9, 1900, at age 25.

Continued on page 2

From Sarai Kale Khan to Birsa Munda...

From page 1

Addressing the gathering at the event, Khattar said "Bhagwan Birsa Munda is a very big name for the country's tribal community as he waged a huge struggle against the British for snatching away their natural resources. To preserve the memory of such an inspiring personality, especially for the youth, a statue of Bhagwan Birsa Munda was unveiled by Union Home Minister Amit Shah and the ISBT Chowk has been named after him."

Sarai Kale Khan is a historic locality and a Gujjar village of Basista / Bosatta Gotra (clan), migrated from Khanpur village situated in South Delhi in 16th-17th Century. In the North-west corner of the village there used to be some remains of old monuments which were called 'Mahal' (Mansion), nowadays the area has DDA Flats. The land area of Sarai Kale Khan once stretched from Purana Qila (Old Fort) in the North-west to JawaharLal Nehru Stadium in the West, Mayur Vihar in the East and Taimoor Nagar in the South.

According to Volume III of 'Monuments of Delhi: Lasting Splendour of the Great Mughals and Others', compiled by Maulvi Zafar Hasan and first published in 1920, "The sarai of Kale Khan which was constructed of rubble masonry was originally surrounded by arched cells, with their outer walls crowned by battlements".

The sarai seemed to be one of those which are known to have been built by Sher Shah at the distance of a "Kiroh (nearly 3 km) on the road from Bengal to the Indus", it said. "In each of these sarais, travellers, Muhammadans as well as Hindus, were entertained, at the public expense, by the order of the Emperor, and horse posts were established there for quick communication, so that news from Bengal reached him daily," the book mentioned.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS-- नई दिल्ली | शनिवार, 16 नवंबर 2024 --DATED-----------------------

सराय कालेखां का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक होगा

अमित शाह बोले- मुंडा ने जल, जंगल, जमीन के आदिवासी संस्कारों को किया पुनर्जीवित

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सराय कालेखां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर बांसेरा उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन झारखंड के एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 तक एक वर्ष 'आदिवासी गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।

बहुत कम उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी सेकंडरी शिक्षा के दौरान धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब पूरे भारत और दो-तिहाई दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय बालक बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होने का साहस किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संस्कार को पुनर्जीवित किया। यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। अमित शाह ने कहा कि धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला आदिवासी संस्कृति की रक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता है, जबकि दूसरा मातृभूमि की आजादी और इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद इन महानायकों को भुला दिया गया। प्रधानमंत्री देश में 20 आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया। अब तक तीन संग्रहालय बन चुके हैं। 2026 तक शेष सभी संग्रहालय भी बनकर तैयार हो जाएंगे।

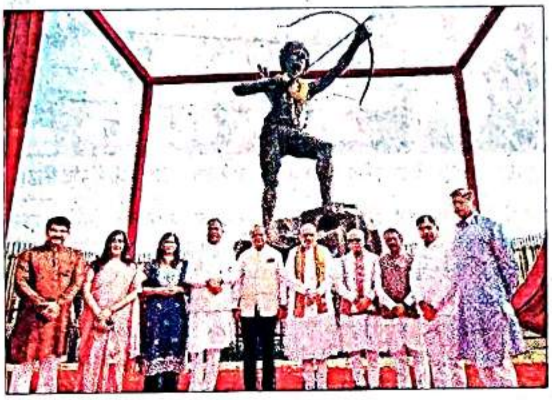

गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का बांसेरा उद्यान में अनावरण किया। मनोहर लाल, वीके सक्सेना आदि मौजूद रहे। अमर उजाला

विकास के लिए बढ़ाया बजट

अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकार में जनजातियों के विकास के लिए सिर्फ 28 हजार करोड़ का बजट था, जबकि मोदी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में आदिवासियों के विकास के लिए 1,33,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 26,428 आदिवासी गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई गई हैं।

बड़ा सवाल किसने दी अनुमति

आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि किसी स्थान का नाम बदलने की जिम्मेदारी स्टेट नेमिंग अथॉरिटी की है। दिल्ली में अभी यह अथॉरिटी अस्तित्व में ही नहीं है। वहीं, यह सड़क भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग के अधीन है। राज्य सरकार की तरफ से इस की कोई पहल भी नहीं की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि बिरसा मुंडा चौक नाम की अनुमति किस प्राधिकरण से मिली?

बालकनी गिरने से हुई मौत, 11 लाख का मुआवज़ा मिलेगा

हाईकोर्ट ने मामले में डीडीए को फटकार लगाते हुए जारी किए आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने डीडीए को एक महिला और उसके नाबालिग बेटों को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसके पति की मृत्यु 24 साल पहले उनके डीडीए फ्लैट की बालकनी गिरने से हुई थी। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने लापरवाही के लिए डीडीए की खिंचाई की और कहा कि फ्लैट के बुनियादी ढांचे के आवंटन के बाद स्थायित्व और दीर्घायु सुनिश्चित करना निरंतर दायित्व है।

अदालत ने यह स्पष्ट है कि डीडीए की लापरवाही बालकनी गिरने का प्रत्यक्ष कारण थी। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर कोई ऐसा काम किया हो, जिससे रिसाव या नमी हो सकती हो। इसके विपरीत यह संभव है कि वह सामान्य दैनिक जीवन में बालकनी का उपयोग करते हों। अदालत ने कहा कि अव्यक्त निर्माण दोष, जिन्हें समय रहते संबोधित किया जाना चाहिए था, ढहने का मूल कारण है और डीडीए सीधे या अपनी एजेंसियों के माध्यम से इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार था। इसलिए यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आवासीय फ्लैटों के आवंटन के परिणामस्वरूप अव्यक्त संरचनात्मक दोषों के लिए डीडीए उत्तरदायी है।

न्यायमूर्ति मृतक को पत्नी और दो नाबालिग बेटों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें 1986-88 में झिलमिल कॉलोनी में 816 फ्लैटों के बहुमंजिला परिसर में स्थित फ्लैट के निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली। शनिवार • 16 नवम्बर • 2024 राष्ट्रीय सहारा

चौक का नाम बदलकर किया 'भगवान बिरसा मुंडा चौक'

सराय काले खां आईएसबीटी के बाहर चौक का नाम परिवर्तित

गृह मंत्री ने किया भगवान बिरसा मुंडा की 3000 किग्रा वजनी प्रतिमा का अनावरण

नई दिल्ली (एसएनबी)। शुक्रवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में सराय काले खां अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी) के पास बांसेरा उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सराय काले खां आईएसबीटी के बाहर के चौक का नाम बदलकर आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखने की घोषणा की।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिंग रोड स्थित बांसेरा पार्क के प्रवेश द्वार पर महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी 3000 किलो की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को पश्चिम बंगाल के दो अनुभवी शिल्पकारों ने तैयार किया है, जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि इसके स्वरूप में जीवंतता का भाव समाहित हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 15 नवम्बर 2025 तक पूरा वर्ष 'आदिवासी गौरव दिन' के रूप में मनाया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2021 में घोषणा की थी कि भारत में हमेशा इस दिन को 'आदिवासी गौरव दिन' के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इसी दिन झारखंड में हुआ था।

शाह ने कहा, 'मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आज से 15 नवम्बर को हर साल आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा।' उन्होंने कहा, 'भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक, आदिवासी संस्कृति की रक्षा और दूसरा, देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी गाथा लिखी, जिसे 150 साल बाद भी याद किया जाता है।' समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सराय काले खां चौराहे का नाम बदलकर 'भगवान बिरसा मुंडा चौक' करने की घोषणा की।

उन्होंने श्रोताओं का संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिसरा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसीडेंसी (अब झारखंड) में शुरू हुए आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनके इस कदम से वह देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गए। भगवान बिरसा मुंडा देश के आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा नाम हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा उनके प्राकृतिक संसाधन छीनने के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष किया।

पंजाब केसरी DELHI

24 साल पहले हुई थी मौत, अब डीडीए को देना होगा मुआवजा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 साल पहले डीडीए अपार्टमेंट की बालकनी ढहने से हुई मौत के मामले में मृतक के परिवार को 11 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसा जुलाई 2000 में उस वक्त हुआ था जब 45 साल का वह शख्स दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा हुआ था। जबकि इमारत का निर्माण हादसे से सिर्फ 14 साल पहले ही हुआ था। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि बालकनी के गिरने का एकमात्र कारण डीडीए की लापरवाही थी। क्योंकि पहले तो निर्माण के वक्त उसने गुणवत्ता पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखी और फिर आवंटन के बाद फ्लैट के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने डीडीए को मृतक की विधवा और उसके दो बच्चों को जनवरी 2001 से अब तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ कुल 11.44 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने को कहा। बता दें कि हादसे के वक्त यह परिवार झिलमिल कॉलोनी में डीडीए द्वारा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए बनाई गई बहुमंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट में रह रहा था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इमारत का निर्माण घटिया गुणवत्ता का था और निर्माण के पांच से छह साल के भीतर ही इसका प्लास्टर उखड़ गया था, जबकि इसे 40-50 साल तक चलना चाहिए था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शनिवार • 16 नवम्बर • 2024

राष्ट्रीय सहारा

NAME OF NEWSPAPERS--DATED----------------------

फ्लैट की बालकनी गिरने से पति की मौत के मामले में हाईकोर्ट का आदेश

पीड़ित परिवार को ब्याज सहित 11 लाख रुपए दे डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक महिला एवं उसके नाबालिग बेटों को 11 लाख 44 हजार नौ सौ आठ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल करने की तिथि 11 जनवरी 2001 से राशि जारी करने तक छह फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने को कहा है। महिला के पति की मौत 24 साल पहले उनके डीडीए फ्लैट की बालकनी गिरने की वजह से हुई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने लापरवाही के लिए डीडीए की खिंचाई की और कहा कि फ्लैट के बुनियादी ढांचे के आवंटन के बाद उसका स्थायित्व और लंबे समय तक बनाए रखना उसका दायित्व है। उन्होंने कहा कि डीडीए का बालकनी की गुणवत्ता, मजबूती और जीवनकाल के लिए बनाए रखने के लिए जवाबदेह है। विशेषज्ञ की जानकारी की आवश्यकता के बिना भी यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा केवल रिसाव या नमी से कहीं अधिक है। एक सामान्य व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी बालकनी का संरचनात्मक दोष देख सके।

■ **फ्लैट के बुनियादी ढांचे के आवंटन के बाद उसका लंबे समय तक स्थायित्व बनाए रखना डीडीए का दायित्व : हाईकोर्ट**

झिलमिल डीडीए फ्लैट्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने कई बार डीडीए को खराब निर्माण व घटिया सामग्री के उपयोग के बारे में सचेत किया था, लेकिन उसने लगातार लापरवाही की और समस्या को अनदेखा किया। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर कोई ऐसा काम किया हो जिससे रिसाव या नमी हुई हो। वे दैनिक जीवन में बालकनी का सामान्य रूप से उपयोग करते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि डीडीए की लापरवाही बालकनी गिरने का कारण है। शिकायत मिलने के बाद निर्माण दोष को दूर किया जाना चाहिए था। आवासीय फ्लैटों के आवंटन के बाद संरचनात्मक दोषों के लिए डीडीए जवाबदेह है। इसलिए वह याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

अदालत ने यह निर्देश मृतक की पत्नी व उसके दो नाबालिग बेटों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1986-88 के दौरान झिलमिल कॉलोनी में 816 फ्लैटों के बहुमंजिला परिसर में एक फ्लैट दिया गया था। फ्लैट की बालकनी ढहने के बाद उन्होंने निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी।

जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई 2000 को दूसरे तल के अपार्टमेंट की बालकनी ढह जाने के कारण याचिकाकर्ता का पति इमारत से नीचे गिर गया था और चोटों की वजह से बाद में उसकी मौत हो गई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
नई दिल्ली | रविवार, 17 नवंबर 2024

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS- NEW DELHI | SUNDAY, 17 NOVEMBER, 2024

दिल्ली ग्रामोदय अभियान से 642 विकास कार्य शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए चल रही परियोजनाओं की गति तेज हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गांवों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति और स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली ग्रामोदय अभियान (डीजीए) के तहत गांव का विकास कर रहा है। समीक्षा बैठक में डीडीए (वित्त पोषण और आंशिक रूप से कार्यान्वयन एजेंसी) और कार्यान्वयन एजेंसियों (एमसीडी और आईएंडएफसी विभाग) के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इस अभियान के लिए कुल 960 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है। बैठक के दौरान बताया गया कि बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार से संबंधित कुल 642 कार्य किए जा रहे हैं। इस साल मार्च में गृह मंत्री अमित शाह ने डीजीए का उद्घाटन किया। उसके बाद इन गांवों में विकास कार्य का काम शुरू हुआ। 642 कार्यों में से 111 पहले ही पूरे हो चुके हैं, 296 पूरा होने के अग्रिम चरण में हैं और 118 कार्यान्वयन के शुरुआती चरण में हैं। 117 परियोजनाएं मंजूरी और कार्यान्वयन से पहले के चरण में हैं। ब्यूरो

'Over 600 projects carried out in Delhi villages in 7 months'

NEW DELHI: Over 600 development projects have been undertaken in the villages of the national capital within seven months of the launch of Dilli Gramodaya Abhiyan (DGA), a statement said on Saturday.

Delhi L-G VK Saxena recently reviewed the progress the DGA initiative PIC/PTI

Delhi Lieutenant Governor VK Saxena recently reviewed the progress and status of projects undertaken in the villages of Delhi under DDA's 'Dilli Gramodaya Abhiyan' (DGA), it said. According to the statement released by the Raj Niwas office, there is a provision of more than Rs 960 crore for the DGA.

It was informed during the meeting that a total of 642 projects related to infrastructure development and improvement of civic amenities were being undertaken, it stated.

The projects began in these villages after the inauguration of DGA in March by Union Home Minister Amit Shah and have, thereafter, been moving at a steady pace. Out of the 642 projects being undertaken, 111 had already been completed, 296 were in the advance stage of completion and 118 were in the early stages of implementation. A total of 117 projects were at the stage of sanctioning and pre-implementation stage, the statement said.

In addition to these, piped gas connections to 93 out of 200 identified villages have also been completed under the DGA and projects for the remaining 107 will be completed by March 2025, of which 43 villages will have piped gas connections as early as December this year itself.

It may be noted that these connections being provided by IGL under the aegis of DGA are not being funded by the allocated amount of Rs 960 crore, it said. Projects undertaken by the DGA include the development of parks, gymnasiums, roads, sewers, water bodies, cremation grounds, pastures and other civic amenities in these villages that had been hitherto neglected due to the Delhi government's apathy, it said.

These projects were selected after detailed on-ground consultations with the residents themselves wherein DMs over three rounds had stayed in the villages and consulted the residents in camps organised for this purpose. AGENCIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer

NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI I SUNDAY I NOVEMBER 17, 2024

LG reviews progress, status of works being undertaken under DGA

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has reviewed the progress and status of works being undertaken in the villages of Delhi under the ambitious "Dilli Gramodaya Abhiyan" (DGA) of the Delhi Development Authority (DDA). During the review meeting, it was informed that altogether 642 works worth Rs 960 crore related to infrastructure development and improvement of civic amenities was being undertaken..

Out of the 642 works being undertaken, 111 had already been completed, 296 were in advance stage of completion and 118 were in early stages of implementation. 117 projects were at the stage of sanctioning and pre-implementation stage.

Apex officers of DDA (the funding and partially implementing agency), and implementing agencies – Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Irrigation & Flood Control (I & FC) Department were present in the meeting

Works began in these villages after the inauguration of DGA in March this year by the Home Minister, Amit Shah and have, thereafter, been moving at a steady pace. In addition to these, piped gas connections to 93 out of 200 identified villages had also been completed under the DGA and works for the remaining 107 will be completed by March, 2025, of which 43 villages will have piped gas connections as early as December this year itself. It may be noted that these connections being provided by IGL under the aegis of DGA are not being funded by the allocated amount of Rs.960 Cr.

Works that are being undertaken under DGA include development of parks, gymnasium, roads, sewers, water bodies, cremation grounds, pastures and other civic amenities in these villages that had been hitherto lying neglected due to Delhi Government's apathy.

These projects were selected after detailed on-ground consultations with the residents themselves wherein DMs over three rounds had stayed in the villages and consulted the residents in camps specifically organized for this purpose.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली। रविवार • 17 नवम्बर • 2024 राष्ट्रीय सहारा

मार्च तक पूरी हो जाएंगी डीडीए की अधिकांश योजनाएं : उपराज्यपाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत चल रहे विकास कार्यों की शनिवार को समीक्षा की। बैठक मे विकास कार्यों की रफ्तार पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब तक कुल 642 विकास योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और बाकी पाइप लाइन में हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डीडीए इस अभियान के तहत 960 करोड़ रुपए खर्च करेगी। समीक्षा बैठक की जानकारी राजनिवास ने जारी बयान में दी है।

अधिकारी का कहना है कि इन विकास योजनाओं की खुद उपराज्यपाल निगरानी कर रहे हैं। इसमें डीडीए कार्यान्वयन एजेंसी है

- दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत विकास कार्यों की समीक्षा

- विकास योजनाओं की रफ्तार से उपराज्यपाल संतुष्ट

और दिल्ली नगर निगम, आईएंडएफसी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने मार्च में इस अभियान की शुरुआत की थी। अधिकारी ने बताया कि 642 योजनाओं में से 111 योजनाए पूरी हो चुकी हैं, 296 अंतिम चरण में और 118 शुरुआती दौर में हैं। 117 योजनाएं मंजूरी प्रक्रिया मे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग अभियान के तहत 200 में से 93 गावों में पीएनजी गैस कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। शेष 107 गावों में गैस कनेक्शन का काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। 43 गावों मे गैस पाइप लाइन कनेक्शन का काम दिसम्बर के शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा। डीडीए की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पार्क, व्यायामशाला, सड़कें, सीवर, जल निकाय, श्मशान घाट, चारागाह एवं अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। अधिकारी का कहना है कि दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। समीक्षा बैठक में विकास कार्य शुरू करने की प्रक्रिया पर चर्चा कर समीक्षा की गई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 17 नवम्बर, 2024 ▶ रविवार

उपलब्धि | उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद कर रहे सभी कार्यों की निगरानी

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 642 में से 111 हुए पूरे

● 93 गांवों में गैस पाइपलाइन कनेक्शन का काम हुआ पूरा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाने व बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एलजी वीके सक्सेना के मार्गदर्शन व नेतृत्व में शुरु की गई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वकांक्षी पहल दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अब परिवर्तनकारी परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

अभियान के शुरू किए गए 642 कार्यों में से 111 पूरे हो चुके हैं, वहीं 296 उन्नत चरण में हैं और 118 कार्य प्रारंभिक चरण में हैं। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के लिए कुल 960 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। 117 परियोजनाएं अनुमोदन और प्रारंभिक कार्यान्वियन की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अभियान के तहत चिन्हित 200 गांवों में से 93 गांवों में गैस पाइपलाइन कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 107 गांवों में यह कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिनमें से 43 गांवों में दिसंबर तक गैस पाइपलाइन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि अभियान के तहत (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) आईजीएल द्वारा प्रदान किए जा रहे ये कनेक्शन 960 करोड़ की स्वीकृत राशि से वित्त पोषित नहीं हैं। अधिकारियों ने बताया कि एलजी सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के गांवों में चल रहे कार्यों की प्रगति और स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में डीडीए, एमसीडी और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

इस अभियान के तहत हो रहे ये काम

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत उद्यानों का विकास, व्यायामशाला, सड़कें, सीवर, ज़ल निकाय, श्मशान घाट, चारागाह और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम हो रहे हैं। इन परियोजनाओं का चयन स्वयं निवासियों के साथ विस्तृत स्थल परामर्श के बाद किया गया है, जिसमें डीएम ने तीन चरणों में गांवों में रहकर विशेष रूप से आयोजित शिविरों में निवासियों से चर्चा की। अन्य परियोजनाएं भी प्रक्रिया में हैं और इन्हें मंजूरी के लिए एलजी द्वारा स्वीकृत किए जाने से पहले एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS----- नई दिल्ली | सोमवार, 18 नवंबर 2024 -DATED---------------------

दक्षिणी दिल्ली के पारिस्थितिक तंत्र को खतरा

कुसुमपुर पहाड़ी में अतिक्रमण कर जेजे क्लस्टर बनाया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर हुई याचिका

नितिन राजपूत

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के मध्य रिज में स्थित कुसुमपुर पहाड़ी में खदान मजदूर बस गए हैं। क्षेत्र पर धीरे-धीरे अतिक्रमण कर खदान मजदूरों ने पहाड़ी को जेजे क्लस्टर बना दिया है। इस तरह के विकास से क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय गिरावट आएगी। यह दक्षिण दिल्ली की पारिस्थितिक जीवन रेखा के लिए खतरा हो सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में इससे जुड़ी एक शिकायत मिली है। दरअसल, संस्कृति, विरासत, पर्यावरण, परंपराओं के संरक्षण और राष्ट्रीय जागरूकता के संवर्धन के लिए सोसायटी ने अपनी याचिका में यह मुद्दा उठाया है।

आवेदन में शिकायतकर्ता ने कहा कि दक्षिणी मध्य रिज में स्थित कुसुमपुर पहाड़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की प्रस्तावित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल 2019 पर इन-सीटू स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के खिलाफ शिकायत की है, जो 1992 की अरावली अधिसूचना का उल्लंघन है। आवेदक की दलील है कि

वसंत विहार के उत्तर-पश्चिम में स्थित 692 एकड़ भूमि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया है। ऐसे में उस क्षेत्र में कोई भी गैर-वन गतिविधि की अनुमति नहीं है। आवेदक की दलील है कि खदान मजदूर कुसुमपुर पहाड़ी में बस गए हैं।

अधिकरण ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब : अधिकरण ने प्रतिवादियों को ई-फाइलिंग के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील गिगी सी जॉर्ज का नोटिस स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि कोई प्रतिवादी अपने वकील के माध्यम से उत्तर दाखिल किए बिना सीधे उत्तर दाखिल करता है, तो उसे ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए वस्तुतः उपस्थित रहना होगा। साथ ही, अदालत ने आवेदक को निर्देश दिया कि वह अन्य प्रतिवादियों को सेवा प्रदान करे।

अधिकरण ने कहा, कुसुमपुर पहाड़ी में विकास कार्य की अनुमति नहीं

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कुसुमपुर पहाड़ी में और विकास कार्य की अनुमति नहीं है। अदालत ने संबंधित इलाके की इन-सीटू स्लम पुनर्वास योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कुसुमपुर पहाड़ी में 2800 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना है, जोकि अनुमति नहीं है। पीठ में पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि याचिका में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन और अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।